संख्याः शिक्षा–एच (21)ए(1)पी.एस.–13/2022–(विविध)–फीस
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर)
हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला–171001, 25 APR 2022 अप्रैल, 2022

सेवा में,

समस्त उप निदेशक शिक्षा (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।

विषय :– निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र शुरु होने से पहले पी.टी.ए. कमेठी का गठन करने व स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित करने के बारे।

उपरोक्त विषय पर आप सभी को सूचित किया जाता है कि छात्र अभिभावक मंच द्वारा अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश के निजी स्कूलों के प्रबन्धनो द्वारा दो वर्षो से पीटीए का गठन नही किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में आप अपने जिले के समस्त निजी स्कूलों के प्रबन्धनों को निर्देश जारी करे कि निम्नलिखित निर्देशों का कढ़ाई से पालन किया जाए।

1. समस्त निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र आरम्भ होते ही शिक्षक अभिभावक संघ पी.टी.ए. (PTA) स्कूल में कमेटी का गठन किया जाये तथा इसे स्कूल की वैवसाईट पर प्रदर्शित किया जाए। इसके अतिरिक्त सामान्य सभा का आयोजन कर के फीस से सम्बन्धित मुददों को सुलझाने व सामान्य सभा में लिये गये निर्णय के अनुसार, शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित फीस व फण्ड का कक्षा वार पूर्ण विवरण (Break-up) एवं पुस्तकों की सूची को अभिभावकों की सूविधा हेतु स्पष्ट शब्दों में स्कूल के नोटिस बोर्ड व वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाए।
2. निजी स्कूल प्रबन्धन द्वारा स्कूल में किताबे, कापियॉ, बर्दी व जूते आदि न बेचे जाये तथा अभिभावकों को किसी भी चिन्हित दुकान से किताबे, कापियॉ, बर्दी व जूते आदि खरीदने के लिए बाध्य न किया जाये।
3. छात्रों के लिए शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम अभिभावाकों की सहमति से ही बनाये जाये, जिस के वारे में सम्बन्धित एस डी एम को भी अवगत करवाया जाये। शैक्षणिक टूअर प्रोग्राम छात्रों के लिए अनिवार्य करने की बजाये स्वैच्छिक किया जाये तथा शैक्षणिक टूअर के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा का सर्वोपरि ध्यान रखा जाये।
4. निजी स्कूल प्रबन्धन प्रत्येक वर्ष नर्सरी से बाहरवीं कक्षा तक पाठशाला में नामांकित छात्रों की संख्याः समेंकित रुप में इस निदेशालय को प्रतिवर्ष 30 मई तक भेजना सूनिश्चित करे।

उपरौक्त निर्देशों का पालन न करने वाले निजी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (विनियमन) अधिनियम 1997 के नियम 2003 में निहित्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए सम्बन्धित स्कूल प्रबन्धन स्वयं जिम्मेवार होगा।

भवदीय,

निदेशक, (उच्चतर शिक्षा),
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

पृष्ठांकन संख्या:- शिक्षा-(जी-11) सामान्य निर्देश / 253...................दिनांक 26-4-22 ऊना
कार्यालय शिक्षा उप निदेशक (उच्चतर) ऊना जिला ऊना (हि० प्र०)

समस्त निजी स्कूलों के प्रबंधक /प्रधानाचार्य / मुख्याध्यापक ज़िला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को सूचनार्थ एबं कड़ाई से अनुपालन हेतू प्रेषित है ।

शिक्षा उप निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि० प्र०)